कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त रामगंज जयपुर उत्तर

क्रमांकः- 2554 दिनांकः-03.11.2020

श्रीमान पुलिस उपायुक्त
जयपुर (उत्तर)

विषयः- राज0 सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 10200678826994 द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार अभियोग संख्या 294/2020 धारा 304,201,120बी आईपीसी दिनांक 30.09.2020 पुलिस थाना रामगंज जयपुर उत्तर के सबधं में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल परिवाद के संबंध मे थानाधिकारी पुलिस थाना रामगंज जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। थानाधिकारी पुलिस थाना रामगंज जयपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक 5369 दिनांक 02.11.2020 द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट द्वारा अवगत कराया कि '' दिनांक 30.09.2020 को श्री हनुमान सहाय एएसआई पुलिस थाना रामगंज जयपुर उत्तर ने थाने पर एक रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि कल दिनांक 29.09.2020 को मन् ए.एस.आई हनुमान सहाय शाम समय 6.52 पीएम पर मय हमराही आर.ए.सी जाप्ता मय वाहन सरकारी जीप चालक श्री अशोक कुमार न0 5736 के वास्ते सांयकालीन गश्त एवं निगरानी बदमाशान तथा कोविड-19 की गाईड लाईन की पालना हेतू थाने से रवाना होकर रामगंज चोपड पहुंचा उसी दौरान मन् गश्त अधिकारी को एक राहगीर ने मौखिक सूचना दी कि एम.एम खांन हाटल के सामने रामगंज बाजार मे नशे की हालत में एक व्यक्ति रोड पर पडा हुआ था जिस पर एक कार के चालक ने कार को उपर चढा दिया जो अब घायल अवस्था मे रोड पर ही पडा हुआ हैं। सूचना की तस्दीक हेतू मन एएसआई मय हमराही जाप्ता वाहन के तुरन्त रामगंज चोपड से रवाना होकर घटना स्थल पहुंचा जहा पर काफी लोगो की भीड इक्कटी हो रखी थी। भीड को रोड से एक तरफ कर देखा तो एक व्यक्ति उम्र करीब 40-45 साल रोड पर घायल एवं बेहोशी हालत मे पडा हुआ था। मेरे द्वारा फोन से तुरन्त 108 एम्बूलेश को तलब कर घायल को जरिये 108 एम्बूलेश से ईलाज हेतू एसएमएस अस्पताल के लिये रवाना किया वहां पर लोगो ने बताया कि उक्त व्यक्ति बार-बार एम.एम खांन हाटल की तरफ आ रहा था, और हाटल कर्मचारीयों द्वारा उसको बार-बार मारपीट कर थक्का देकर रोड पर गिरा दिया उसी दौरान एक कार आयी और चालक द्वारा उस पर कार को चढा दिया, कार के नम्बर 6813 हैं आगे के सीरियल नम्बर नही देख पाये। तत्समय मामला रोड एक्सिडेंट का होना प्रतित होने पर मौके से ही थाना हाजा को सम्बधित एक्सिडेंट पुलिस थाना को सूचना देने बाबत बताया गया। उक्त व्यक्ति की अब तक तस्दीक करने के प्रयास किये गये मगर नाम पता एवं निवास स्थान के बारे मे कोई जानकारी नही मिली। आज दिनांक 30.09.2020 को पुलिस नियत्रण कक्ष जयपुर शहर से जरिये फोन थाना हाजा पर सूचना प्राप्त हुई है कि कल दिनांक 29.09.2020 को एमएम खांन हाटल के सामने घायल हुये अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात की दौराने ईलाज मृत्यु हो चुकी हैं। घटनाक्रम के संबधं मे एमएम खांन हाटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की वक्त घटना के समय की फुटेज देखी गई तो सामने आया कि मृतक नशे की हालत मे बार -बार हाटल की तरफ जा रहा था, और हाटल के कर्मचारीयों द्वारा उसके साथ हाथ से थाप-थप्पड मारकर रोड पर गिरा दिया। उसी दौरान एक कार आयी और उस व्यक्ति के उपर चढा दी। जबकि हाटल कर्मचारीयों को इस बात का ज्ञान था कि वह व्यक्ति नशे की हालत मे हैं, औंर रामगंज बाजार मे ट्रेफिक का काफी आवागम हैं। तथा वक्त रात्रि हैं, उस व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर बेठाने की बजाय नशे की हालत मे उसके साथ मारपीट कर धक्का मारकर रोड पर गिरा देना व उसको रोड से साईड मे नही करना और घटना के बाद साक्ष्य मिटाने की मंशा से घायल को वहां से उठाकर बडी चैपड से रामगंज चोपड की और आने वाले रोड पर डाल देना हत्या की कोटी मे न आने वाले आपराधिक मानव वध की श्रेणी मे आना प्रतित होता हैं। एमएम खांन होटल रामगंज जयपुर के मालिक व सम्बधित कर्मचारीयों के विरूद्ध विधि सम्वत कार्यवाही हेतू रिपोर्ट सेवामे पेश हैं। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 294/2020 धारा 304,201,120बी आईपीसी मे कायम कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान परिवादी श्री हनुमान सहाय आरएसी कानि. गवाह श्री राजेन्द्र कुमार एवं चालक कानि. श्री अशोक कुमार 108 एम्बूलेंस को सूचना करने वाले श्री सददीक के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी के तहत पृथक-पृथक लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। घटना स्थल का नजरी निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका कशीद किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अज्ञात मृतक की शिनाख्त एवं वारीसान की तलास हेतू फोटोयुक्त एवं मृतक के हुलिये के साथ जरिये ई-मेल समस्त थानाधिकारीगण, राजस्थान, श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जिला जयपुर पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण, श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय पुलिस नियंत्रण कक्ष जयपुर शहर को मुश्तैरिया प्रेषित की गई एक प्रति शामिल पत्रावली की गई। मृतक की शिनाख्तगी एवं वारिसान के तलास के क्रम मे राजस्थान पुलिस की जीपनेट वेबसाईट पर

मृतक की फोटो एवं हुलिये की डिटेल्स अपलोड की गई। घटना के बारे मे दैनिक समाचार पत्रों मे सूचना प्रकाशित करवाई गई। एम.एम खान हाटल के मालिक को कर्मचारियों के नाम पते एवं मोबाईल नम्बर की सूचना प्रमाणित शुदा रिकार्ड, हाँटल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फूटेज, पेश करने व सम्बधित कर्मचारियों को अनुसंधान हेतू पेश करने बाबत धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस दिया जाकर रसीद प्राप्त की गई। 108 एम्बूलेस के प्रधान कार्यालय से वांछित रिकार्ड एवं सूचना प्राप्त की गई। ट्रोमा वार्ड एसएमएस अस्पताल जयपुर से जानकारी प्राप्त की गई। श्रीमान जन सम्पर्क अधिकारी आयुक्तालय जयपुर को मृतक की फोटो सहित विवरण समाचार पत्रों मे खबर प्रकाशित करवाये जाने बाबत पत्राचार किया गया। मृतक के शव का एसएमएस अस्पताल जयपुर से कार्यवाही पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम करवाया जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अंगो के नमूनों के बिसरा जार डीएनए जांच हेतू आवश्यक सैम्पल एवं अग्रेषण पत्र प्राप्त किये गये। लाश का दांह संस्कार करवाया गया जाकर श्मशान घाट के प्रबंधन से रसीद प्राप्त की गई। एमएम खान हाँटल के कर्मचारीयों मैनेजर मो. अनवर, कर्मचारी इशामूददीन एवं अब्दुल अनिश से सम्पूर्ण घटनाक्रम के संबधं मे पृथक-पृथक विस्तृत पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट तैयार किये जाकर जवाब प्राप्त किया गया।

प्रकरण हाजा के अज्ञात मृतक की शिनाख्तगी एवं वारीसान की तलास के क्रम मे रामगंज बाजार, घाटगेट बाजार, घोडा निकास रोड एवं सूरजपोल बाजार के स्थानिय लोगो, दुकानदारों, थडी, ठेले वालों, राहगीरों, ई-रिक्शा व आटो रिक्शा चालकों भिखारियों को मृतक अज्ञात की फोटो दिखाई जाकर एवं हुलिये के बारे मे अवगत कराया जाकर वारीसान की तलास के भरसक प्रयास किये गये मगर अब तक मृतक के वारीसान की कोई सुरागरसी नही चली है। अज्ञात मृतक की शिनाख्तगी एवं वारीसान की तलास के क्रम मे मुखबीर खास मामुर किये जाकर हिदायत की गई। प्रकरण हाजा की दुर्घटना कारित करने वाले अज्ञात वाहन/चालक की तलास एवं अज्ञात मृतक उम्र 40-45 साल हिन्दू की शिनाख्तगी के क्रम मे वारिसान की तलास के ठोस एंव सार्थक प्रयास तथा अग्रिम अनुसंधान जारी है।

अत- रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

(सुरेश चन्द्र **R.P.S.**)
सहायक पुलिस आयुक्त,
रामगंज जयपुर (उत्तर)